न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 183 / 2024

प्रार्थी	**बनाम**	विप्रार्थीगण
कुम्भाराम पुत्र जोधाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. आसूराम पुत्र जोधाराम 2. पुराराम पुत्र जोधाराम 3. वेहनाराम पुत्र जोधाराम 4. चनणीदेवी पत्नि रावताराम 5. अमियादेवी पुत्री रावताराम 6. सवाराम पुत्र रावताराम जातियान कुम्हार निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 7. शंकरराम पुत्र केसाराम 8. सुबटीदेवी पत्नि केसाराम 9. घमण्डाराम पुत्र लालाराम 10. मागाराम पुत्र लालाराम 11. अणसी पत्नि लालाराम जातियान मेघवाल निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 12. अमीयोदेवी पत्नि खीमाराम 13. बांकाराम पुत्र खीमाराम 14. वीरमाराम पुत्र खीमाराम 15. गेपाराम पुत्र आसूराम 16. उदाराम पुत्र आसूराम 17. चनणीदेवी पत्नि दलाराम 18. रूपाराम पुत्र दलाराम 19. हीराराम पुत्र दलाराम जातियान राईका निवासी डेरपानातहसील सिणधरी जिला बालोतरा 20. शेराराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी [illegible] तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 21. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:17:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 27.03.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 998/49 रकबा 1.2607 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार हल्का भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत खसरा संख्या 998/49 रकबा 1.2607 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार हल्का भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 998/49 रकबा 1.2607 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार हल्का भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत खसरा संख्या 998/49 रकबा 1.2607 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार हल्का भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:17:52 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

किया गया। जिसमें पाया खेत खसरा संख्या 998/49 रकबा 1.2607 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार हल्का भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 998/49 रकबा 1.2607 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार हल्का भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:17:52 IST
Reason: SelfAttested